अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस

2019-00167RAAJu2019-086RTA225 Lakhsingh n ors Vs Bhanwarsingh etc

1. लखसिंह पुत्र उगमसिंह राजपूत
2. जगमालसिंह पुत्र उगमसिंह राजपूत
3. अर्जुनसिंह पुत्र उगमसिंह राजपूत
4. अणचकंवर पत्नी उगमसिंह राजपूत
5. देवीसिंह पुत्र हरीसिंह राजपूत
6. अगरसिंह पुत्र हरीसिंह राजपूत
7. नाथुसिंह पुत्र हरीसिंह राजपूत
8. उत्तमसिंह पुत्र हरीसिंह राजपूत
9. भवानीसिंह पुत्र हरीसिंह राजपूत
10. भंवरकंवर पत्नी हरीसिंह राजपूत
11. नरपतसिंह पुत्र चैनसिंह राजपूत
12. हिम्मतसिंह पुत्र चैनसिंह राजपूत
13. सुमेरसिंह पुत्र चैनसिंह राजपूत
14. जसवन्तसिंह पुत्र चैनसिंह राजपूत
15. मेघसिंह पुत्र चैनसिंह राजपूत
16. सीताकंवर पत्नी चैनसिंह राजपूत
17. रामसिंह पुत्र खुशालसिंह राजपूत
18. छतरसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
19. पेपसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
20. मालमसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
21. नारायणसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
22. प्रेमसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
23. देवीसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत
24. भंवरकंवर पत्नी कल्याणसिंह राजपूत
25. आईदानसिंह पुत्र भैरुसिंह राजपूत
26. भूरसिंह पुत्र मानसिंह राजपूत
27. देवीसिंह पुत्र मानसिंह राजपूत
28. तुलछकंवर पत्नी मानसिंह राजपूत
29. चावण्डसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत
30. आमूकंवर पत्नी गंगासिंह राजपूत
31. उत्तमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह राजपूत
32. उम्मेदसिंह पुत्र इन्द्रसिंह राजपूत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

33. उगमकंवर पत्नी इन्द्रसिंह राजपूत निवासीगण
ग्राम देवातु तहसील बालेसर
जिला जोधपुर

----- **अपीलाण्ड्स**

ब

ना

म

1. भंवरसिंह पुत्र हुकमसिंह राजपूत
2. भगवानसिंह उर्फ मगसिंह पुत्र हुकमसिंह राजपूत
3. गणपतसिंह पुत्र सगतसिंह राजपूत
4. काजूसिंह पुत्र सगतसिंह राजपूत
5. धनसिंह पुत्र सगतसिंह राजपूत
6. हरूकंवर पत्नी सगतसिंह राजपूत
7. रूपसिंह पुत्र विजयसिंह राजपूत
8. लूणसिंह पुत्र विजयसिंह राजपूत
9. हरनामकंवर पत्नी विजयसिंह राजपूत
10. जगमालसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत
11. चावण्डसिंह पुत्र किशोरसिंह राजपूत
12. उत्तमसिंह पुत्र किशोरसिंह राजपूत
13. केसरकंवर पत्नी किशोरसिंह राजपूत
14. दीपसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत
15. राजूसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत
16. स्वरूपसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत
17. सुगनकंवर पत्नी गंगासिंह राजपूत
18. बनेसिंह पुत्र हुकमसिंह राजपूत
19. चैनसिंह पुत्र जवाहरसिंह राजपूत
20. भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत
21. भवानीसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत
22. रावलसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत
23. मांगूसिंह पुत्र विजयसिंह राजपूत
24. जबरसिंह पुत्र पनेसिंह राजपूत
25. भंवरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह के कायममुकामान --
    a. भंवरकंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

b. जसुकंवर पुत्री भंवरसिंह राजपूत (अवयस्क जरिये कुदरती वलिया माता भंवरकंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत)
सभी निवासीगण ग्राम देवातु, तहसील बालेसर
जिला जोधपुर

----- **रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर दिनांक 04 जुलाई 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 118/2018 भंवरसिंह व अन्य बनाम लखसिंह इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री मूलसिंह गहलोत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
रेस्पो. की ओर से कोई उपस्थित नहीं

नि र्ण य

दिनांक : 18 जून 2020

अपीलाण्ट्स ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा राजस्व वाद संख्या /2018 भंवरसिंह व अन्य बनाम लखसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 04 जुलाई 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 29 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवातु स्थित आराजी खसरा संख्या 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 684, 685, 686, 687, 690, 691, 244 व 245 तथा ग्राम चावण्ड नगर स्थित आराजी खसरा संख्या 696, 704, 695, 705 व 794 पुश्तैनी भूमि होना तथा पक्षकारान एक ही कुटुम्ब के होना जाहिर करते हुए उक्त आराजियात बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो.-प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद पेश किया और मूल वाद के विचाराधीन रहने तक उक्त आराजियात बाबत अस्थायी

निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया। अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थनापत्र का जबाव पेश कर वादग्रस्त आराजियात से रेस्पो-प्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं होना जाहिर किया और स्वयं वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होना जाहिर करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 जुलाई 2019 को स्वीकार कर लिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने यह अपील प्रस्तुत की है।

एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय अर्थात संवत 2012 में वादग्रस्त आराजियात पर अपीलाण्ट्स के पिता/दादा/परदादा बतौर कृषक काबिज काश्त थे जिसके आधार पर राजस्व विभाग द्वारा वक्त सेटलमेण्ट उन्हें राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किया गया, वादग्रस्त आराजियात पर पीढी-दर-पीढी अपीलाण्ट्स का निरन्तर शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है, मौके पर उनकी ढाणियॉ, टांकें, पक्के मकान, नलकूप आदि बने हुए है, वे सपरिवार निवास भी कर रहे है। रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने अभिकथनों को साबित नहीं किया है और यह स्पष्ट नहीं किया है वादग्रस्त आराजियात कब किस जागीरदार की भूमि रही है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि वक्त सेटलमेण्ट एवं मारवाड स्टेट के समय ग्राम देवातु में कोई जागीरदार ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार ही नहीं किया गया और रेस्पो., जो कि क्लीन हैण्ड न्यायालय के समक्ष नहीं आये है, द्वारा प्रस्तुत कपोल कल्पना के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वर्तमान राजस्व अभिलेख में भी वादग्रस्त आराजियात बाबत मात्र अपीलाण्ट्स के ही नाम दर्ज है, रेस्पो. में

से किसी का भी नाम दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट्स के पक्ष में है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

बावजूद सम्यक सूचना रेस्पो. की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पक्षकारान के मध्य आलौच्य प्रकरण में **ग्राम देवातु स्थित आराजी खसरा संख्या 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 684, 685, 686, 687, 690, 691, 244 व 245 तथा ग्राम चावण्ड नगर स्थित आराजी खसरा संख्या 696, 704, 695, 705 व 794 बाबत विवाद है** और अधीनस्थ न्यायालय में इन्हीं खसरा बाबत मूल वाद के विचाराधीन रहने तक स्थगन आदेश प्राप्ति बाबत रेस्पो. की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

प्रतिलिपि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी (खेवट खतौनी) संवत 2071-2074 का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि **राजस्व ग्राम देवातु के खाता संख्या 16** (पुराना खाता संख्या 17) में दर्ज खसरा संख्या 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 684, 685, 686, 687 एवं 690 की कुल 222 बीघा 13 बिस्वा भूमि तथा राजस्व ग्राम चावण्डनगर के **खाता संख्या 7 में दर्ज** खसरा संख्या 696 व 704 की 77 बीघा 11 बिस्वा **भूमि अपीलाण्ट्स के नाम ही दर्ज है।** यही स्थिति ग्राम देवातु के **खाता संख्या 80 के** खसरा संख्या 691 रकबा 206 बीघा के संबंध में पायी जाती है। **इस प्रकार वर्तमान मेंअपीलाण्ट्स ही** प्रथम दृष्टया वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार पाये जाते है और इस कारण कानूनन उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। रेस्पो.-वादीगण के अनुसार

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

मूल वाद में वर्णितानुसार अनुसार वादग्रस्त आराजियात में उनका कोई हक-हिस्सा बनता है? वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी भूमि है अथवा नहीं? इन सभी बिन्दुओं का पक्षकारान के दावे, जबाब एवं जबाबुल जबाब के आधार पर तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई के बाद गुणावगुण के आधार पर विनिश्चयन किया जाना है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपीलाण्ट्स के पक्ष में प्रकट होता है।

दशकों से अपीलाण्ट्स बतौर रिकार्डेड खातेदार वादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है और अपील स्तर पर जो दस्तावेज पेश किये गये है, उनसे पाया जाता है कि अपीलाण्ट्स काश्त बाबत सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत कनेक्शन लेने के लिये प्रयासरत है। अतः मात्र रेस्पो. की आधारहीन आशंका के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात का मूल कृषि स्वरूप नष्ट करने पर आमदा है। इसके विपरीत यदि कृषि कार्य की सुविधा हेतु सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन लेने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाती है तो निश्चय ही अपीलाण्ट्स को गम्भीर असुविधा एवं **अपूरणीय क्षति** होने की प्रबल सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इन तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 जुलाई 2019 बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है, जो तदनुसार खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2020.06.18 16:20:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: